न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4155–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–8–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 88/अपील/2012–13.

भरतलाल पिता श्री जगदीश मयड़ा
निवासी ग्राम रायपुरिया तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1–रामा पिता श्री मोती भामर
निवासी ग्राम रायपुरिया तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ म0प्र0
2–सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत रायपुरिया
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ म0प्र0 .....अनावेदकगण

श्री बी0के0गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री मनीष व्यास, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/3/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–8–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर द्वारा तहसीलदार को ग्राम रायपुरिया के कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु पत्र लिखा । उक्त पत्र के पालन में तहसीलदार द्वारा कोटवार पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया जिस पर आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के दो आवेदन पत्र प्राप्त हुये । तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 7–5–2012 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 की नियुक्ति कोटवार पद पर की गई । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–10–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर आवेदक की नियुक्ति कोटवार पद पर की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–8–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास है, जबकि अनावेदक की शैक्षणिक योग्यता संबंधी कोई भी प्रमाण पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा भरतलाल की नियुक्ति करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई थी इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर आवेदक की नियुक्ति करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई थी परन्तु उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 49(3) को समझे बगैर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को जब तक सक्षम न्यायालय से सजा

नही दी जाती तब तक उसे अयोग्य नहीं माना जा सकता है । इस पर भी अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था अतः ऐसा अवैधानिक प्रस्ताव के आधार पर तहसीलदार द्वारा कोटवार पद पर की गई नियुक्ति करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, परन्तु अनुविभागीय का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 की विधिवत् ग्राम पंचायत द्वारा ठहराव प्रस्ताव पारित कर उसकी अनुशंसा कोटवार पद के लिये की गई थी अतः तहसीलदार द्वारा विधिवत् संहिता की धारा 230 के प्रावधानों के अनुरूप अनावेदक की नियुक्ति कोटवार पद पर की गई है जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक ग्राम रायपुरिया में निवास नहीं करता है । इसी कारण ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक के नाम पर विचार नहीं किया गया है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कोटवार पद हेतु शैक्षणिक योग्यता तथा उम्र का कोई अनिवार्य आधार नहीं है । आवेदक के विरूद्ध सिविल न्यायालय में प्रकरण प्रचलनशील है । ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव अनुसार कोटवार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदक भरतलाल के नाम पर इसलिये विचार नहीं किया गया क्योंकि व पिछले 5 वर्षो से ग्राम में निवास नहीं कर रहा है । ग्राम

पंचायत के ठहराव प्रस्ताव अनुसार तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत अनावेदक को कोटवार के रिक्त पद पर स्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की गई है, जो संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत बने कोटवारी नियमों के अनुरूप है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प के विरूद्ध आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–8–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर